न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 87/2017/223 आरटीए

हरीराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. भारतभूषण पुत्र चतरूराम जाति ब्राहम्ण निवासी जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सुलोचना पत्नि भारतभूषण जाति ब्राहम्ण निवासी जहाना तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. तारामणी पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमानगढ़ टाउन।
5. कमलादेवी पत्नि रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमानगढ़ टाउन।

––––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर
प्र0सं0 137/2011 अनवानी हरीराम बनाम भारतभूषण

उपस्थित :–
श्री लालचन्द देवर्थ अधिवक्ता अपीलांट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 4 व 5
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांक 04.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया कि अपीलांट के कब्जा काश्त की अनकमाण्ड भूमि चक 1 जेडडब्ल्यूयूएम के प.न. 136/387 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.200 है0 भूमि है जिसको अपीलांट लगातार पिछले 25 सालो से शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित भूमि पर वादी के इस ऐलानिया व प्रतिकूल कब्जे को प्रतिवादीगण को शूरू से ही ज्ञान रहा है। प्रतिवादी सं. 3 ने अपने निर्णय दिनांक 20.11.2007 के द्वारा अपीलांट का विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होना माना है। इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 4 व 5 की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 26.12.2012 को वादपत्र खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2014 से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2012 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षो को साक्ष्य

Web Copy - Not Official

पेश करने का अवसर दिया जाकर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वाद मे पुनः निर्णय पारित किया जावें। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र अपीलांट/वादी खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने मे कानूनी भूल की है। अपीलांट ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2043 से 2045, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2040, सम्वत 2055, 2059, नकल निर्णय प्रकरण सं. 46/2007 स्टेट बनम हरीराम निर्णय दिनांक 20.11.2007 कार्यालय तहसीलदार राजस्व एवं भू–राजस्व लगान अदा करने की रसीदे प्रदर्शित करवाई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साख्य से विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त 30 वर्षो से पूर्व का होना बखूबी साबित है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 जिनके नाम से विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उन्होने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपीलांट/वादी के वादपत्र का किसी प्रकार से कोई विरोध नही किया। इससे भी बखूबी साबित है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का तीस वर्षो से अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा काश्त रहा है तथा वादी का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चुका है तथा अपीलांट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। रेस्पो0 सं. 4 व 5 ने अधीनस्थ न्यायालय मे विवादित भूमि पर अपना कब्जा होने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साख्य पेश नही की है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान न देकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें व वादपत्र अपीलांट/वादी स्वीकार किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा काश्त नही है और ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानानुसार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा समस्त राशि खजाना राज मे जामा करवाने के उपरांत उन्हे खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5/रेस्पो0 सं. 4 व 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान होने से प्रतिवादी सं. 4 व 5 की खरीदशुदा खातेदारी भूमि होने के आधार पर प्रतिकूल धारण वादी का नही मानते हुए वाद वादी/अपीलांट अपीलाधीन

निर्णय व डिक्री के द्वारा खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 08.10.2007 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील सं. 158/2007 अनवानी हरीराम बनाम भारतभूषण आदि प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.10.2010 से अपीलांट हरीराम को प्रभावित पक्षकार के रूप मे बतौर द्वितीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी होना नही मानते हुए अपील अपीलांट हरीराम खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध हरीराम अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील/एलआर/6526/2010 हनुमानगढ़ हरीराम बनाम भारतभूषण प्रस्तुत की जो भी एडमिशन के स्तर पर ही दिनांक 24.11.2010 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि से संबंधित जब अपीलांट को पीडित पक्षकार ही नही माना गया तो प्रथम दृष्टयां प्रकरण अपीलांट के हक मे नही बनता है। प्रतिकूल धारण के आधार पर अपीलांट खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2018(1) पेज 682 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि ''अपीलाण्ट/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि चक 1 जेडडब्ल्यूयूएम के प.न. 136/387 कि.न. 1 ता 25 कुल 6.200 है0 को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातदेारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 4 व 5 की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 26.12.2012 को वादपत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2014 से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2012 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि तनकीयात कायम की जाकर दोनो पक्षो को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाकर विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वाद मे पुनः निर्णय पारित किया जावें। प्रकरण रिमाण्ड किये जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र अपीलांट/वादी खारिज किया गया। जबकि रेस्पो0 सं. 4 व 5 का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानानुसार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा समस्त राशि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खजाना राज मे जामा करवाने के उपरांत उन्हे खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5/रेस्पो0 सं. 4 व 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान होने से प्रतिवादी सं. 4 व 5 की खरीदशुदा खातेदारी भूमि होने के आधार पर प्रतिकूल धारण वादी का नही मानते हुए वाद वादी/अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 08.10.2007 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील सं. 158/2007 अनवानी हरीराम बनाम भारतभूषण आदि प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.10.2010 से अपीलांट हरीराम को प्रभावित पक्षकार के रूप मे बतौर द्वितीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी होना नही मानते हुए अपील अपीलांट हरीराम खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध हरीराम अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील/एलआर/6526/2010 हनुमानगढ़ हरीराम बनाम भारतभूषण प्रस्तुत की जो भी एडमिशन के स्तर पर ही दिनांक 24.11.2010 को खारिज कर दी गई।

7. अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहते हुए दावा प्रस्तुत किया गया। जबकि अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018(1) मे प्रतिपारित किया गया कि प्रतिकूल धारण से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। इसी प्रकार 2011 आरआरडी पेज 508 मे माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल धारण से अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 07/2007/223 आरटीए

नोपा बेवा हनुमान सिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।

– अपीलांट

बनाम

1. हनुमान सिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर।
2. परमेश्वरी पत्नि रेवन्तसिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी राईया वाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सरबती पत्नि सुलतान सिंह जोजा गुलाबसिंह जाति राजपूत तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. सब रजिस्ट्रार नोहर।

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2006 उपखण्ड अधिकारी नोहर
मु.न. 206/99 अनवानी नोपा बनाम हनुमानसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट, श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 एवं श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2006 अपास्त किया जाता है तथा वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना के खसरा नं. 388 की 33.19 बीघा, खसरा नं. 425 की 8.04 बीघा कुल 42.03 बीघा भूमि मे वादिया/अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 1 ता 3 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त चक की भूमि से मालसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27.09.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official